कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/माध्य/अ–4/स्ववित्तपोषित/2021–22 दिनांक : 25.09.2023

:: आदेश ::

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय विकास विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) के तत्वावधान में स्ववित्त पोषित आधार पर संकाय/विषय संचालित किये जाने से सम्बन्धित राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प0 4(9) शिक्षा–1/2006 दिनांक 7.6.2006 में वर्णित शर्तो एवं दिशा निर्देशों के अधीन राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः– प. 4(9) शिक्षा–1/2006 पार्ट, जयपुर, दिनांक 06.09.2023 द्वारा प्राप्त स्वीकृति अनुसार :–

(अ) शर्ते एवं दिशा–निर्देश :

1. नवीन संकाय/विषय संचालन हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाऐ यथा कक्षा–कक्ष, प्रयोगशाला, फर्नीचर, उपकरण, पाठ्यपुस्तकें आदि की व्यवस्था विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से प्राप्त राशि से की जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा इस हेतु कोई बजट उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आवर्तक/अनावर्तक व्यय के लिए राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नही होगी। समस्त आवर्तक/अनावर्तक व्यय विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) द्वारा वहन किये जाएंगे।
2. अतिरिक्त विषय खोलने पर पदों की मांग नहीं की जायेगी।
3. विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) द्वारा खोले गऐ नवीन संकाय/विषय के अध्यापन हेतु व्याख्याताओं/शिक्षकों/अशैक्षणिक स्टाफ यथा प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सेवक आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी ही होंगे तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार/पैटर्नानुसार समस्त स्टाफ की व्यवस्था विद्यालय विकास समिति द्वारा की जायेगी। निर्धारित योग्यता रखने वाले अध्यापकों एवं अन्य कार्मिकों को विद्यार्थी मित्र के रूप में ही मानदेय के आधार पर लगाया जा सकेगा। इस प्रकार रखे गये कार्मिकों/शिक्षकों/व्याख्याताओं पर होने वाले व्यय को विद्यालय विकास समिति द्वारा वहन किया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई राशि नहीं दी जायेगी तथा ना ही इस सम्बन्ध में कोई पद स्वीकृत किया जावेगा। नियमित नियुक्तियां, पूर्णकालिक नियुक्तियां अथवा संविदा नियुक्तियां नहीं की जावेगी।
4. व्याख्याता एवं अन्य कार्मिक राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जायेगे व विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) द्वारा रखे गये व्याख्याता/शिक्षकों/अशैक्षणिक कर्मचारियों को राजकीय सेवा में समाहित होने का कोई अधिकार प्राप्त नही होगा।
5. विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) द्वारा किये गये व्यय का पूर्ण लेखा जोखा पृथक से रखा जायेगा। उसका विधिवत वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा। यह लेख जोखा विद्यालय को राज्य सरकार से प्राप्त बजट लेखों से अलग होगा।
6. विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) द्वारा प्रारम्भ किये संकाय/विषय के संचालन तथा वित्तीय प्रबन्धन में अनियमितता पाये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–माध्यमिक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC)के माध्यम से स्ववित्त पोषित प्रबन्धन में अनियमितता पाये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
8. विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) द्वारा प्रारम्भ किये नवीन संकाय/विषय हेतु निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर मान्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से प्राप्त कर मान्यता में लगाई गई शर्तो की अक्षरशः पालना करनी होगी। इसके उपरान्त ही अध्ययन प्रारम्भ किया जा सकेगा।
9. विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) द्वारा संचालित संकाय/विषय यदि किसी कारणवश बन्द हो गया है तो ऐसी स्थिति में विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) द्वारा सृजित/उपलब्ध कराई गई

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.09.25 16:13:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4676388

आधारभूत सुविधाएं यथा भूमि, भवन, प्रयोगशाला उपकरण, फर्नीचर आदि पूंजीगत परिसम्पतियां एवं अन्य सामग्री पर संबंधित विद्यालय का स्वामित्व होगा।

10. स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उल्लेखित विषयों को प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति नियमानुसार सहमति की स्वीकृति की शर्त पर एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :—

(ब) विद्यालय का नाम एवं स्वीकृत विषय/संकाय का विवरण :

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	प्रारम्भ किये जाने वाले विषय/संकाय
1.	MAHANT ROOPNATH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GOGAMERI (212363) Udise Code - 08020211006 Block - Nohar District - Hanumangarh	सत्र 2023—24 से कक्षा 11 व 12 में कृषि संकाय के अंतर्गत तीन विषय (कृषि विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान) का संचालन।

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)—माध्यमिक, हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त विद्यालय में निरीक्षण के दौरान इस विषयक पंजिका एवं अभिलेखों का अवलोकन कर यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार एवं विभाग के द्वारा स्ववित्तपोषित आधार पर विषय/संकाय संचालन बाबत प्रसारित समस्त शर्तो एवं दिशा निर्देशों की पालना संबंधित विद्यालय द्वारा की गई/की जा रही है। किसी भी स्तर पर शर्तो/दिशा निर्देशों की पालना नहीं होने पर संबंधित संस्था प्रधान उत्तरदायी होगा।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—मा/माध्य/अ—4/स्ववित्तपोषित/2021—22/ दिनांक : 25.09.2023

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप—1) विभाग, जयपुर को सूचनार्थ।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग।
11. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
12. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)—माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशानुसार विद्यालय का नाम, स्तर, विद्यालय में पूर्व से संचालित संकाय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू—डाईस कोड आदि की भली—भांती जांच कर लेवें। किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाने पर संशोधित प्रस्ताव अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए अवगत करावें।
13. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
14. अनुभाग अधिकारी संस्थापन—एबी/सी/एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण को अपडेशन हेतु।
15. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.09.25 1?:13:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4676388